

भाग-2

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1-	परियोजना/स्क्रीम का स्थान	-	जनपद-महोबा में राज्य मार्ग-21 के किमी0 442.100 से किमी0 448.680 (बिलरायां से पनवाड़ी) तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	-	महोबा
	(3) वन प्रभाग	-	महोबा वन प्रभाग, महोबा।
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में)	-	कुल 11.844 हेक्टेन
	(5) वन की कानूनी स्थिति	-	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	-	0.1
	(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जायें सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एस0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जायें।	-	चौड़ीकरण में 619 आने वाले वृक्षों का प्रजातिवार गोलाई वर्गीकरण का विवरण संलग्न है।
	(8) भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	-	क्षेत्र भू-संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	-	लगभग 0.00 किमी0
	(10) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल रिजर्व बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)	-	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	-	नहीं
	(12) क्यों कोई सुरक्षित पुरात्तवी/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	-	नहीं
2-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	-	जनपद-महोबा में राज्य मार्ग-21 के किमी0 442.100 से किमी0 448.680 (बिलरायां से पनवाड़ी) तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य है।
3-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कोर्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	-	नहीं।

4-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	-	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	-	प्रतिपूरक वनीकरण—पनवाड़ी रेंज के बीहट वन ब्लाक के 24.00 हेठो पर किया जायेगा।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाया भैप।	-	प्रतिपूरक वनीकरण— पनवाड़ी रेंज के बीहट वन ब्लाक के 24.00 हेठो पर किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्र का भैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-	प्रतिपूरक वनीकरण के समय शीशम, चिलबिल, नीम, आवंला, अर्ल, सिरस, कंजी, बांस आदि प्रजातियों का रोपण विभाग द्वारा किया जावेगा। वित्तीय परिव्यय 3071200.00 संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	-	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्त है। इस आशय का प्रमाण—पत्र संलग्न है।
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें।)	-	
5-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 11, 12, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	-	संलग्न है।
6-	विभाग /जिला प्रोफाइल	-	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	-	326190.00 हेठो
	(2) जिले का वन क्षेत्र	-	16587.081 हेठो
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	-	मामले 13 वन क्षेत्र 96.87061 हेठो
	(4) 1980 से जिला/विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क— दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	-	190.03 हेठो
	ख— वनेत्तर भूमि पर	-	X
	(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	-	
	क— दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	-	19.00 हेठो
	ख— वनेत्तर भूमि पर	-	24.742 हेठो
7-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस	-	प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृति करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक
स्थान— महोबा

हस्ताक्षर (सुहीर कुमार)
नाम प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी परिवेश संरक्षण प्रभाग, महोबा